सं0–7 / स्थानीय–15–01 / 2013 4201(21)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

भूपेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना।

पटना, दिनांक : 28-6-13

विषय : **गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 में (21–02)दवा भंडार इकाई में कुल ₹55,00,000/– ( पचपन लाख ) रूपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषायांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0–10(7)ब दिनांक–26.04.2013 के क्रम में वर्तमान वर्ष 2013–2014 में (21–02)दवा भंडार इकाई में कुल ₹55,00,000/– ( पचपन लाख ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक– 3388वि0(2) दिनांक 18.4.11, 3833 वि0(2) दिनांक–02.04.12, 4201 वि0(2) दिनांक– 18.04.12 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड– N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. दवा भंडार इकाई में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, पटना होंगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

6. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

भूपेन्द्र

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4270 /पटना, दिनांक : 28-6-13

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्थानीय अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव
23/6/13

विवरणी

व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत दवा भंडार इकाई में वित्तीय वर्ष 2013–2014 में अतिरिक्त आवंटन ।

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई एवं कोड | बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | वेतन (01–01) | 57298000 | 42973500 | 0 | 42973500 | 14324500 |
| 2 | जीवन यापन भत्ता (01–03) | 48703000 | 36527250 | 0 | 36527250 | 12175750 |
| 3 | मकान किराया भत्ता (01–04) | 11460000 | 8595000 | 0 | 8595000 | 2865000 |
| 4 | परिवहन भत्ता (01–05) | 1152000 | 864000 | 0 | 864000 | 288000 |
| 5 | चिकित्सा भत्ता (01–06) | 403000 | 302250 | 0 | 302250 | 100750 |
| 6 | अन्य भत्ता (01–07) | 1043000 | 782250 | 0 | 782250 | 260750 |
| | **योग वेतन एवं भत्तेः–** | **120059000** | **90044250** | **0** | **90044250** | **30014750** |
| 7 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01) | 200000 | 21000 | 0 | 21000 | 179000 |
| 8 | यात्रा व्यय (11–01) | 200000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |
| 9 | कार्यालय व्यय (13–01) | 200000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |
| 10 | वाहन का इंधन एवं रख रखाव | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 |
| 11 | दूरभाष (13–03) | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |
| 12 | विद्युत प्रभार (13–04) | 1000000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |
| 13 | विधि प्रभार (13–05) | 110000 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 |
| 14 | वर्दी/ पोषाक (13–06) | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |
| 15 | किराया महसूल एवं कर (14–01) | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 |
| 16 | प्रशिक्षण व्यय (20–03) | 860000 | 0 | 0 | 0 | 860000 |
| 17 | सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01) | 2880000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1440000 |
| 18 | दवा भंडार (21–02) | 22000000 | 8800000 | 5500000 | 14300000 | 7700000 |
| 19 | आहार/ पथ्य (21–03) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20 | लघु कार्य (27–01) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 21 | अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02) | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |
| 22 | व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ | 3000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 |
| 23 | मशीने एवं उपस्कर (52–01) | 6840000 | 0 | 0 | 0 | 6840000 |
| | कुल योगः– | **178351000** | **103060250** | **5500000** | **108560250** | **69790750** |
| | | | | | | कुल (पचपन लाख) रूपये मात्र |

सरकार के संयुक्त सचिव
23/6/13